भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 959

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ियों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत एसएफआईओ की स्थापना

959. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कारपोरेट धोखाधड़ियों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या कारपोरेट क्षेत्र की विनियामक प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) में बाजार अनुसंधान और विश्लेषण इकाई (एमआरएयू) की स्थापना की गई है;
(घ) यदि हां, तो इस इकाई द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है और गंभीर कपट के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(ङ) धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं और सरकार द्वारा आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापरिभाषित और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भ्रष्टाचार धोखाधड़ियों पर कार्रवाई करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के अंतर्गत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को गंभीर धोखाधड़ियों के मामले की जांच का कार्य सौंपा जाता है। पिछले 3 वर्षों (01.04.21 से 31.10.24 तक) में एसएफआईओ को 36 मामलों में जांच का कार्य सौंपा गया है। एसएफआईओ को जांच का निदेश केंद्रीय सरकार द्वारा रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर या कंपनी द्वारा पारित विशेष संकल्प की सूचना प्राप्त करने पर या जनहित में या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर दिया जाता है।

(ग) और (घ): बाजार अनुसंधान और विश्लेषण युनिट (एमआरएयू) की स्थापना गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) में कार्यालय ज्ञापन संख्या 35011 I/27/2009-प्रशा.III दिनांक 20 अगस्त, 2009 के तहत केवल नई दिल्ली में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी -

i. सूचना का भंडार;

ii. जांच कौशल में सुधार;

iii. सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना;

iv. अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय।

एमआरएयू, कपटपूर्ण कार्यकलापों के लिए कारपोरेट्स के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण सहित कार्यकलाप करता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों में, की गई जांचों के आधार पर, एसएफआईओ ने 1,135 व्यक्तियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए 41 मामले दर्ज किए हैं, जो न्यायाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 54 मामलों का निपटान भी कर दिया गया है जिनमें से 25 मामलों में दोषसिद्धि (प्रशमन सहित) हो गई।

*****